न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 27/2019/ आवेदन 251–ए

1. पुष्पा झुरिया पत्नि प्रहलाद झुरिया जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 8 जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. रामसिंह पुत्र गोकुल सिंह
2. करणसिंह पुत्र सहदेवसिंह
3. प्रेमसिंह पुत्र सहदेवसिंह
4. भंवरसिह पुत्र सुगनसिंह
5. अमरसिंह पुत्र सुगनसिंह

समस्त जाति राजपुत निवासीगण तिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए

उपस्थिति–

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील प्रार्थीया की ओर सें।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य **दिनांक – 13.09.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा 13 किता 1 कुल रकबा 6.67 है0 वाके ग्राम तिलोकपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में जाने हेतु अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि में से मीटर लम्बा व 20 फुट चौड़ा रास्ता चाहता है। अप्रार्थी की भूमियों के दक्षिण व पश्चिम साईड में प्रचलित रास्ता है जो आगे जाकर मुख्य सड़क मार्ग पर खुलता है। चाहे गये रास्ते का अंकन नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत में बने मकान मे पहुचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमियों में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीया अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से सम्पूर्णतया वंचित हो जायेगें। यह प्रार्थना पत्र मेरी खातेदारी भूमियों के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत करते है कि मुझे

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मेरी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 13 तन ग्राम तिलोकपुरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीया के मकान तक आने जाने उपयोग उपभोग हेतु 20 फुट चौड़ा व मीटर लम्बा रास्ता दिलवाने की कृपा करे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दातारामगढ से रास्ते संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मय डीएलसी दर संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें कथन किया कि खसरा नम्बर 10 व 11/850, 13 में नक्शा लट्ठा में डोटेड लाईन का रास्ता दर्शाया हुआ है तथा मौके पर उक्त रास्ता चालू है। खसरा नम्बर 13 रकबा 6.67 है0 किस्म बारानी खातेदारी अमरसिह भवंरसिह पुत्रगण सुगनसिह हिस्सा 1/3 करणसिंह प्रेमसिंह पुत्र सहदेवसिंह हि0 1/6 रामसिंह पुत्र गोकुलसिंह हि0 1/3 जाति राजपुत सा.देह पुष्पा झुरिया पत्नि प्रहलाद झुरिया हि0 1/6 जाति महाजन सा. वार्ड नं. 8 सीकर के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसमें अमरसिह व पुष्पा झुरिया का हिस्सा पी.एन. बी. बैक शाखा रानोली के नाम रहन दर्ज है व रामसिंह का हिस्सा बी.आर.के. जी. बी. शाखा शिश्यु रानोली के रहन दर्ज है। खसरा नम्बर 13 में पुष्पा झुरिया पत्नि प्रहलाद झुरिया के हिस्से 1/6 में पुख्ता मकान मौके पर बने हुए है। उक्त भूमि का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है परन्तु रिकार्ड अनुसार सामलाती भूमि है। खसरा नम्बर 13 में आने जाने हेतु रास्ता पुष्पा झुरिया के मकान तक मौके पर नहीं है तथा न कोई आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। प्रार्थीया के खेत की निकटतम दुरी पर खसरा नम्बर 13 के दक्षिणी दिशा से नक्शे में डोटेड रास्ता ही निकटतम है। प्रार्थीया के मकान खसरा नम्बर 13 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ 240 गुणा 6 मीटर 1440 वर्ग मीटर लम्बा रास्ता प्रार्थीया द्वारा चाहा गया है जो प्रार्थीया की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है वर्तमान में प्रार्थीया के घर तक आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है। आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

3. बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की मंशा रास्ते की आत्यंधिक आवश्यकता होने की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तगार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यंकिक आवश्यकता है। **अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 13 के निकटतम डोटेड लाईन राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर प्रचलित है। खसरा नम्बर 13 में से प्रार्थीया को पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 240 गुणा 6 मीटर 1440 वर्ग मीटर लम्बा रास्ता प्रार्थीया नियमानुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीया को खसरा नम्बर 13 में से 1440 वर्ग मीटर रास्ता आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता प्रार्थीया व अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि में से कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे तथा पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।**

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ